कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम

सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

टैलीफैक्स नं. (07412) 270418 E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 3620 रतलाम, दिनांक : 01-12-2018

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी,
वनपरिक्षेत्र,
सैलाना

विषय :- वनभूमि के एवज में गैर वनभूमि 29.22 हे. वनविभाग को हस्तान्तरण के संबंध में।

संदर्भ :- कलेक्टर जिला रतलाम का पत्र पृ. क्रमांक / 2005 / रीडर / 2018 दिनांक 04-08-2018 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 2850 दिनांक 07-09-2018, एवं पत्र क्र. / 3148 दिनांक 15-10-2018 एवं पत्र क्रमांक / 3433 दिनांक 14-11-2018

-0-

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र से आपको माण्डलिया घाट तालाब में प्रभावित वनभूमि क्रमशः 14.22 हे. एवं रावटी वाला नाला (डाबडी तालाब परियोजना) में प्रभावित वनभूमि क्रमशः 15.00 हे. के एवज में प्राप्त गैर वन भूमि में कब्जा प्राप्त कर समस्त अभिलेख एवं उक्त दोनों तालाब योजना की 10 वर्षीय पृथक पृथक वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15-11-2018 तक प्रस्तुत करने लेख किया गया था, परन्तु 3 माह व्यतित होने पर भी उक्त संबंध में आपके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है।

उक्त दोनों प्रकरण फॉरेस्ट क्लीयरेंस की साईट पर पंजीबद्ध किया गया है है। उक्त प्रकरण में विलम्ब होने पर पेनल्टी भुगतान किया जाता है।

अतः आप माण्डलिया घाट तालाब एवं रावटी वाला नाला (डाबडी तालाब परियोजना) में प्रभावित वनभूमि के विरूद्ध गैर वनभूमि पर कब्जा प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र 01 से 11 तक की आवश्यक कार्यवाही का सम्पूर्ण अभिलेख सहित, कार्यालयीन पत्र क्रमांक / माचि / 2018 / 3557 दिनांक 26-11-2018 से प्रेषित मॉडल फॉर्म के अनुसार 7 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना पृथक पृथक तैयार कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में दिनांक 05-12-2018 तक भेजने का कष्ट करें। विलम्ब होने पर जवाबदारी आपकी रहेगी।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 3621 रतलाम, दिनांक : 01-12-2018

प्रतिलिपि :-

01 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सम्भाग, जिला रतलाम की ओर लेख है कि उक्त प्रस्तावित प्रकरणों के एवज में प्राप्त गैर वन भूमि पर कब्जा प्राप्त करवाने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत किया जा सकें।

02 अनुविभागीय अधिकारी, जावरा की ओर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

03 तहसीलदार, तहसील पिपलोदा की ओर लेख है कि ग्राम कंसेर की हस्तांतरित राजस्व भूमि का कब्जा रसीद, मानचित्र एवं नामांतरण कार्यवाही पूर्ण कर अभिलेख वन परिक्षेत्राधिकारी, सैलाना को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम